सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 57/2017 तारीख रज्जू : 27.07.2017

1. रामसिंह पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी कूकडेला तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)। ––वादी

बनाम

1. बोदू पुत्र छोटू
2. प्रकाश } पुत्रान बोदू
3. रोहिताश
4. किशन
5. रायसिंह } पुत्रान भैरू
6. दूलीचंद

} समस्त जाति जाट निवासी कूकडेला तहसील विराटनगर जिला जयपुर

7. उपपंजियक, पंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

–– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि, पत्थरगढी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता वादी
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6
पैरोकार सरकार उपस्थित

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 04.07.2019

1. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार रहे कि वाके ग्राम भामोद के खाता संख्या 217 के खसरा नंबर 139/1174/0.14 है0 में हिस्सा 5/14 वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा उक्त आराजी मुतनाजा जरिये रजिस्ट्री खरीद की, जो वादी की अपनी अन्य भूमि 139/1173 के समीप स्थित है। एवं शेष हिस्सा 9/14 प्रतिवादी [illegible] के नाम दर्ज रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:42:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जमाबंदी संवत 2069–2072 है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने–अपने हिस्सानुसार आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है, परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। वादी ने अपने बंटवारे में प्राप्त भूमि को कड़ी मेहनत करके ऊपजाउ बनाया है प्रतिवादीगण, वादी की बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि को हड़पने की नियत रखता है तथा बिना बंटवारा कराये किसी दिगर व्यक्ति को बेचान करने की धमकी देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम भामोद के खाता संख्या 217 के खसरा नंबर 139/1174/0.14 है0 का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बंटवारा किया जाकर वादी को पृथक से हिस्सा 5/14 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं अलग से पर्चा पासबुक जारी कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे एवं बंटवारा भूमि का सीमांकन पत्थरगढी फरमाया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 217 संवत् 2069–2072, नक्शा ट्रेस पेश की है।

3. दावा बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री गणपत लाल पंसारी ने अण्डर टेंकिग दी, परन्तु बार–बार अवसर दिए जाने उपरान्त भी वकालतनामा व जवाबदावा पेश नहीं किया गया, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे। अर्थात प्रतिवादीगण को सम्यक तामील हुई है तथा बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट भामोद में पेश होने पर वादी व्यक्तिशः उपस्थित हुआ तथा लोक अदालत में प्रकरण में राजीनामा पेश नहीं किया गया।

5. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 20.06.2019 प्राप्त हुआ है।

6. विद्वान अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम भामोद के खाता संख्या 217 के खसरा नंबर 139/1174/0.14 है0 में हिस्सा 5/14 वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा उक्त आराजी मुतनाजा जरिये रजिस्ट्री खरीद की, जो वादी की अपनी अन्य खातेदारी भूमि 139/[illegible] समीप स्थित है। एवं शेष हिस्सा 9/14 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:42:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2069–2072 है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्सानुसार आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है, परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण, वादी की बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि को हड़पने की नियत रखता है तथा बिना बंटवारा कराये किसी दिगर व्यक्ति को बेचान करने की धमकी देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री गणपत लाल पंसारी ने अण्डर टेंकिग दी, परन्तु बार–बार अवसर दिए जाने उपरान्त भी वकालतनामा व जवाबदावा पेश नहीं किया गया, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे। अर्थात प्रतिवादीगण को सम्यक तामील हुई है तथा बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 20.06.2019 प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

<u>आदेश</u>

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर ग्राम भामोद की खातेदारी भूमि के खाता संख्या 217 के खसरा नंबर 139/1174/0.14 हैक्टेयर का निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	रामसिंह पुत्र नारायण जाति जाट सा. देह कूकडेला खातेदार	1174/139/0.05 हैक्टे.
2	बोदू पुत्र छोटू जाति जाट सा. देह खातेदार	1240/139/0.09 हैक्टे.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:42:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। एंव पत्थरगढी के लिए स्वंय के स्तर से पुलिस इमदाद लेकर स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 04.07.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:42:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :— राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस.

1. रामसिंह पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी कूकडेला तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)। ——वादी

बनाम

1. बोदू पुत्र छोटू
2. प्रकाश } पुत्रान बोदू
3. रोहिताश }
4. किशन } पुत्रान भैरू
5. रायसिंह }
6. दूलीचंद }

(1 से 6) समस्त जाति जाट निवासी कूकडेला तहसील विराटनगर जिला जयपुर

7. उपपंजियक, पंजियन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 57/2017 **दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि, पत्थरगढी एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री अवधेश कुमार शर्मा** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम भामोद के खाता संख्या 217 के खसरा नंबर 139/1174/0.14 हैक्टेयर का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें, एवं बंटवारा में प्राप्त भूमि का स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावें।

सुना गया। प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपो[illegible]शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:42:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	रामसिंह पुत्र नारायण जाति जाट सा. देह कूकडेला खातेदार	1174 / 139 / 0.05 हैक्टे०
2	बोदू पुत्र छोटू जाति जाट सा. देह खातेदार	1240 / 139 / 0.09 हैक्टे०

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। एवं पत्थरगढी के लिए स्वंय के स्तर से पुलिस इमदाद लेकर स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर / रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 04.07.2019 खुले न्यायालय में सुनाया

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:42:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुबलिक ....शून्य........................... बाबत ....शून्य....... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य............. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.07.2019 को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकार
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:42:26 IST
Reason: SelfAttested